न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), त्वरित न्यायालय/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज।

परिवाद संख्या–3263/2019
(C.N.R.UPMH04-008183-2019)
जोखू साहनी बनाम नकूल वगैरह

01.09.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। परिवादी की ओर से न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित हैं और न कोई मोहलत प्रार्थनापत्र दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि पत्रावली परिवादी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु नियत चल रही है, परन्तु कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में कोई भी जांच साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जांच साक्ष्य के अभाव में परिवादी का परिवाद कथानक संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा परिवादी की निरन्तर अनुपस्थिति के दृष्टिगत प्रस्तावित अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या–3263/2019 अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक कुमार सिंह)
आई0डी0नं0–यू0पी02595
सिविल जज (प्रवर खण्ड), त्वरित न्यायालय/
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,महराजगंज।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR SINGH
Date: 2025.09.05 16:30:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court